रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (DN)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 214] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 27, 1985/वैसाख 7, 1907
No. 214] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 27, 1985/VAISAKHA 7, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग और कपनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1985

का.आ. 366(अ) :—केन्द्रीय सरकार, ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1983 (1983 का 41) की धारा 2 के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1 जून, 1985 को उक्त अधिनियम की धारा 17 के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[फा सं. 10/24/84-एल.आर.]

ए. पी. सरदन, संयुक्त सचिव

(रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का०आ० 182(अ) तारीख 12 मार्च, 1981 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश की सारणी में, क्रम संख्यांक 1-क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1-क क्लोरेम्फेनिकाल कैप्सूल	250 मि०ग्रा०	500 की बोतल	233.09"

[सं० 9(54)/84-डी II]

प्रदीप मेहरा, उप सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

Office of the Development Commissioner (Drugs)

New Delhi, the 23rd April, 1985.

ORDER

S.O. 367(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 12 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S. O.182 (E), dated the 12th March, 1981 namely:—

In the Table annexed to the said Order, for serial number 1-A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5
"1-A.	Chloramphenicol Capsules	250 mg.	500's bottle	233.09"

[No. 9(54)/84-D. II]

PARDIP MEHRA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985